आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
13.03.2020	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया** **उत्पाद वाद संख्या-09/2020** **राज्य** बनाम 1. **सम्पा बनर्जी, पति बी0 बनर्जी, सा0-नमुरारीपुकुर आर0/ओ0 36ए/एच0/15 ग्राउण्ड फ्लोर कोलकाता पश्चिम बंगाल। (जप्त ट्रक सं0-WB25H-4460 के स्वामी)** 2. **रहमत अली, पिता अखेर अली मिस्त्री, सा0-पश्चिम खिलकाप (अलगरिया गवरमेंन्ट) थाना -बरसात, जिला-उत्तरी 24 परगाना, पीन नं0-743700 पश्चिम बंगाल। (जप्त ट्रक सं0-WB25G-5523 के स्वामी)** **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **बायसी थाना कांड सं0-238/2019 दिनांक 05.10.19** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 9595/सी0आर0 दिनांक 01.12.19** द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **उक्त वाहन की जाँच दिनांक 05.10.19 को बायसी पूरब चौक सिनेमा घर के पास की गई।** जांच के क्रम में उक्त जप्त दोनो वाहन से **40+40 इम कच्चा स्प्रीट जप्त किया गया।** तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है। इस वाद में विपक्षी सं0-01 के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका कथन है कि विपक्षी वाहन मालिक इस घटना से अनभिज्ञ हैं। जप्त वाहन का उपयोग उनके चालक द्वारा किया जाता था। चालक द्वारा वाहन मालिक के सहमति के बगैर जप्त सामग्री का परिवहन किया गया है। वाहन जप्त होने के बाद भी चालक द्वारा वाहन मालिक को सही सूचना नहीं दी गई। जप्त वाहन ऋण पर लिया गया है जिसमें हर माह किस्त देना पड़ता है। वाहन जप्त हो जाने से विपक्षी को काफी हानि उठाना पड़ रहा है। जप्त वाहन राजसात योग्य नहीं है। इस संबंध में इंडियन कॉन्टेक्ट एक्ट 1872 की धारा 211 प्रासंगिक है। अतएव जप्त वाहन मुक्त करने की कृपा की जाए। विपक्षी सं0-02 को ज्ञापांक 178/विधि दिनांक 14.01.20 के द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया, जिसे डाक विभाग द्वारा अधूरा पता बता कर वापस कर दिया गया जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त विवरणी में अंकित पते पर विपक्षी सं0-02 को नोटिस भेजा गया था। उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि **जप्त उक्त जप्त दोनो वाहन से 40+40 इम कच्चा स्प्रीट जप्त किया गया है जो जप्ती सूची में दर्ज है।** इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग स्प्रीट (शराब का अवयव) के परिवहन में किया गया । विपक्षी सं0-01 द्वारा समर्पित कारणपृच्छा	

तथ्यों के अनुरूप नहीं है, जिसे 'अस्वीकृत किया जा सकता है। विपक्षी सं0-02 की वाहन दिनांक 05.10.19 को जप्त की गई है। 04 माह से अधिक बीत जाने पर भी उनके द्वारा अपने वाहन की खोजबीन नही की गई। जिससे प्रतीत होता है कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि **"उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।"** स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा स्प्रीट (शराब का अवयव) का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 **"विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।"** ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी सं0-01 से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध स्प्रीट (शराब का अवयव) जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग स्प्रीट के परिवहन हेतु किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से स्प्रीट (शराब का अवयव) पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त ट्रक सं0-WB25H-4460 एवं ट्रक सं0-WB25G-5523** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

13/3/2020

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

D:\Legal Letter\Excise Order\Excise-Final Order DM Court-2018